महत्वपूर्ण एवं खास

जनसामान्य को घर-घर जाकर दी जाएगी विधिक सहायता की जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर 9 से 18 नवम्बर 2018 तक जनसामान्य को घर-घर जाकर निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी, सलाह एवं सहायता दी जाएगी। इस मौके पर जनसामान्य को विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य, निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति, निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है, के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

जितनी ठंड पिछले नवंबर अंत में, इस बार अभी से पड़ने लगी उतनी ही सर्दी दुर्ग प्रदेश में सबसे ठंडा

न्याय साक्षी/रायपुर। राजधानी में 2017 में 26 नवंबर को रात का तापमान 14.3 डिग्री तक गिरा था। यह पिछले साल नवंबर के पूरे 30 दिनों में सबसे ठंडा दिन था। इस साल 12 तारीख को ही रात का तापमान 15 डिग्री से कुछ अधिक है। उत्तर से ठंडी हवा आने का सिलसिला भी जारी है। इसलिए रात के तापमान में अभी और कमी आएगी और अगले कुछ दिन राजधानी में रात में ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इसलिए मौसम विशेषज्ञों का भी अनुमान है कि इस साल नवंबर में ठंड पिछले साल की तुलना में कुछ अधिक रहेगी।

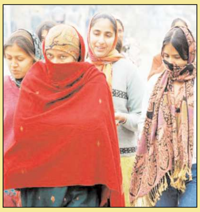

90 हजार की मोटरसाइकिल को चोरी कर 10 हजार में बेचने वाले चार पकड़े गए

न्याय साक्षी/रायगढ़। बीस दिन पूर्व तमनार थाना अंतर्गत ग्राम जोबोरो में रात्रि सुने पन का लाभ लेते हुए मोटरसाइकिल को रेकी कर पार करने का मामला सामने आया था। जिस पर तमनार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपी व खरीदी करने वाले दो कबाडियों को गिरफ्तार की है। उक्त वारदात में शामिल सभी आरोपियों को न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा गया हैं। इस सम्बंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रश्मिराज मिश्रा पिता राज कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी है। जिसके घर से 20 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरो ने पल्सर मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गए थे जिसकी जांच तमनार पुलिस कर रही थी इस बीच मुखबिरों का जाल बिछ्या गया था जिसमें ज्ञात हुआ कि महावीर यादव व उसके साथी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है जिस पर हरकत में आई तमनार टीआई ने टीम गठित कर संदेही को पूछताछ के लिए थाने लाया गया जिसमें महावीर व उसका साथी सूर्या बेहरा उम्र 18 वर्ष ने पुलिस को गुमराह करने लगे। वही जब सख्ती बरती गई तो दोनों टूट गए। और रट्टू तोते की तरह रश्मिराज मिश्रा के घर से मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किये। वही चोरी की मोटरसाइकिल को खरीदी करने वाले दो फेरी करने वाले कबाड़ी मिरचंद पिता अनतेज शेख उम्र 40 वर्ष व उसका साथी लाल मोहम्मद पिता आना उल उम्र 38 वर्ष वर्तमान पता छाता मुड़ा निवासी के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। दोनों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने 10 हजार में खरीदी की थी।

सफाई के दौरान युवक को सांप ने डसा

न्याय साक्षी/रायगढ़। इंदिरा विहार में सफाई कर रहे एक युवक को सांप ने डस लिया। इसकी जानकारी होने पर समिति के अध्यक्ष ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। शहर के सबसे करीब स्थित पिकनिक स्पॉट इंदिरा विहार में सफाई कार्य चल रहा है। यहां विजयपुर निवासी शत्रुघन सिदार पिता श्याम सिदार काम कर रहा था। इसी दौरान एक करैत सांप ने उसे डंस लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।

इसकी जानकारी तत्काल विजयपुर वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्याम मालाकार को दी गई इस पर उन्होंने शत्रुघ्न को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताया है।

दो बच्चियों को 5-5 रुपए देकर घर ले गया वृद्ध, फिर की दुष्कर्म की कोशिश

न्याय साक्षी/बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र की दो नाबालिग बच्चियों को पांच-पांच रुपये देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित वृद्ध ग्रामीण के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मस्तूरी पुलिस के अनुसार मल्हार चौकी क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। उसी समय वहां वृद्ध पनबुड़ी उर्फ मुखीराम साहू पिता झाडूराम (65) अपने कोठार में

काम कर रहा था।

बच्चियों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। दोपहर करीब 12 बजे वह काम छोड़कर उनके पास आया फिर रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया। इस दौरान उसने दोनों बच्चियों को कमरे में बंद कर दिया। फिर उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। घबराई दोनों सहेली उसकी हरकतों को सहते रहे। उसके चंगुल से मुक्त होने के बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने परिजन को दी। वृद्ध की हरकत जानकर परिजन आक्रोशित हो गए। लिहाजा, बच्चियों को लेकर मल्हार चौकी पहुंचे। उनकी अलग-अलग रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित ग्रामीण के खिलाफ धारा 342, 376, 511 व पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपित ग्रामीण की हरकत को आसपास के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा, इस बीच दोपहर में पड़ोसी महिला बच्ची को आरोपित के घर के बाहर बैठे देखी थी। लेकिन, वह बच्ची को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गई। बाद में जब वह लौट रही थी, तब उसने दो बच्चियों को उसके घर से निकलते देखा।

लिहाजा, महिला ने दोनों बच्चियों से पूछताछ शुरू कर दी। इस पर बच्चियों ने आरोपित द्वारा पैसे देने की जानकारी दी। लेकिन, घटना की जानकारी नहीं दी। इस पर महिला ने शक के आधार पर उसके परिजन को बताया और दोनों बच्चियों से पूछताछ करने कहा। परिजन ने बच्चियों से पूछताछ की, तब उन्होंने आपबीती सुना दी।

पाठशाला में हो रहा है नशीले पदार्थ का सेवन

बच्चों ने स्वयं स्वीकारा - अध्ययन अध्यापन से वंचित हो रहे हैं नौनिहाल

सारंगढ़ विकास खण्ड अन्तर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुवरगुणा का मामला

नरेश चौहान
(न्याय साक्षी ब्यूरो सारंगढ़)

रायगढ़। भले ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के उन्नयन को लेकर दावे किए जाते हैं, ऑनलाईन क्रियान्वन के तहत् - यूडाईस फार्म का भरा जाना, ऑन-लाईन छात्रवृत्ति का बांटा जाना, प्रति विद्यार्थी रिकार्ड का जमा किया जाना आदि-आदि, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। आपको बता दें, ताजा मामला जो प्रकाश में आया है वो सारंगढ़ विकास खण्ड अन्तर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुवरगुणा से सम्बंधित है। बताया गया कि, इस पाठशाला में कुल तीन शिक्षक हैं और तीनों ही बहानेबाज हैं, इनका मन अध्ययन अध्यापन में बिलकुल नहीं लगता है। इनके द्वारा, छात्रों के अध्यनरत के समय अपने अपने बहाना बनाकर खुलेआम शासन के निर्धारित नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार ना केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अध्यापक हेतु भी ड्रेसकोड है। लेकिन इस स्कूल में पउदस्थ

हेड मास्टर द्वारा भयभीत किए जाने वाले कपड़े (टी-शर्ट आदि) पहन कर स्कूल जाना होता है, जो कि नियमों का उलंघन है। शासन द्वारा शिक्षको को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि सिम्पल व सहज कपड़ें पहन कर स्कूल पहुंचे और छात्र छात्राओं को मृदुभाषी विधि से ज्ञान अर्जित करने में मदद करावें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अन्य दो शिक्षक शाला प्रभारी को मौखिक रूप से बोल कर सरदर्द का बहाना बना कर स्कूल से नदारत रहते हैं, जिससे भी बच्चों के अध्ययन प्रभावित हो रहा है। वहीं के एक अध्यापक योगेश साहू द्वारा केड़ार में टेबलेट के माध्यम से अंगूठा लगाकर अपना उपस्थिति दर्ज करते पाए गए हैं। शाला प्रभारी फागुलाल टंडन भीअपने घरेलू कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसी स्थित में अध्ययन एवं अध्यापन से वंचित छात्र छात्राओं के भविष्य की कल्पना स्वयं की जा सकती है।

पाठशाला में उपस्थित छात्र छात्रओं का भी कहना है कि शिक्षक स्कूल में पान, पाऊच, गुड़ाखू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन रोजाना की आदत है, और इसपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है।

जंगली भालू का शिकार करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/कोंटा। मरवाही वनमण्डल के मरवाही परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम खंता परिसर के का क्रमांक 1409 पीएफ में मृत भालू का शव वनकर्मियों की गश्ती के समय प्राप्त हुआ था। जांच करने पर पता चला कि बंदूक से गोली चलाकर नर भालू को मारने की जानकारी मिली, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हो गई है, यह एक शिकार की घटना है। प्रथम दिवस से ही परिक्षेत्राधिकारी मरवाही संजय त्रिपाठी द्वारा मरवाही एवं पेण्ड्रा परिक्षेत्र के लाइन स्टॉफ की -पृथक पांच समूह बनाकर सपनी, बगड़ीडोगरिया, एवं मेडका जो कि घटना स्थल के समीपस्थ ग्राम है, में सघन पतासाजी के लिए लगाया था, साथ ही मुखबिरी के लिए स्थानीय जानकारों व वनप्रबंध समितियों के सदस्यों को लगाया। परिणाम स्वरूप 24 घण्टे के भीतर संलिप्त अपराधियों की जानकारी प्राप्त हुई। इनकी तलाश व निगरानी करने पर अपने घर से भाग गये। जांच करने पर पांच

आरोपी पकड़ाए। शिकार करने के मामले पकड़े गए भागबलि पिता पंचराम (2) मंगलसिंह पिता जोहनसिंह गोंड (3) संतोष कुमार पिता कुंवर सिंह गंधर्व (4) हेमसिंग पिता परसराम गॉड (5) रूपसिंग पिता उद्धवसिंह गोंड हैं। ये सभी ग्राम सपनी, थाना गौरेला के निवासी हैं। ये सभी पकड़ाए। सभी अपराधियों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा (32) के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजनंदगांव जिले के बाकरकट्टा के नजदीक IED बरामद किया गया

राजनंदगांव। इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की 40 वीं बटालियन ने राजनंदगांव जिले के बाकरकट्टा के नजदीक आईईडी बरामद किया।

चुनावी ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारी की गड्ढे में मिला शव

न्याय साक्षी/दन्तेवाड़ा। चुनावी ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारी की गढ्ढे में मिला शव, गीदम के वार्ड क्र.05 के गड्ढे में मिला शव, 12 नवंबर को दंतेवाड़ा के पोलिंग बूथ नम्बर 118 पर चुनाव ड्यूटी में लगा था, आज

सुबह जब स्थानीय लोगों ने गढ्ढे पड़ी लाश को देखा तो इसकी सुचना तत्काल पुलिस को दी। जब पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला उक्त व्यक्ति का नाम अभय कुमार टोप्पो है और उसने शराब पी रखी थी जिसकी वजह से वह संभल नहीं पाया और गढ्ढे में गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गीदम पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तेज रफ्तार बस खाई में गिरी, 18 लोग घायल

न्याय साक्षी/बिलासपुर। बिलासपुर जिले के आनंद घाट के पास मंगलवार सुबह एक निजी बस खाई में गिर गई, जिसमें सवार 30 में से 18 लोगों को चोटें आई हैं। हादसा उस वक्त हुआ, जब यह बस झंडूता से बिलासपुर आ रही थी। बताया जाता है कि अचानक बस के अगला पहिया खुल गया और यह बेकाबू हो पलटियां खाती हुई खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी बिलासपुर अशोक शर्मा ने बताया कि उन्हें हादसे में कुछ लोगों के घायल हो जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची टीम को पता चला कि एक निजी बस झंडूता से बिलासपुर की तरफ आ रही थी। सुबह करीब साढ़े 8 बजे जब यह बस आनंद घाट के पास पहुंची तो अचानक अगला पहिया खुल गया। इसके चलते बस पलटियां खाती हुई करीब 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी और वहां चीख-पुकार मच गई।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931